सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : कर्णसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 71/14

श्रीमती गुड्डी देवी उर्फ शान्ति देवी पुत्री स्व0 झन्डूराम पत्नी साधूराम जाति कुम्हार निवासी 2 एम एल तहसील श्री गंगानगर वर्तमान निवासी 2 एम एल तहसील श्री गंगानगर वर्तमान निवासी फूसेवाला तहसील श्री करणपुर।

अपीलांट

बनाम

1. कालुराम
2. बेगराज
3. खेताराम

पिसरान स्व0 झण्डू राम जाति कुम्हार निवासी चक 2 एम एल तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अपील विरूद्व इंतकाल सं0 735 दिनांक 11–11–13 तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

उपस्थित : 1.श्री इन्द्रजीत बिश्नोई, अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 4
3. श्री मोहन लाल छाबड़ा, अधिवक्ता, रेस्पो0 सं0 1 से 3

आदेश दिनांक : 19–04–16

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेन्टस सगे भाई हैं। अपीलांट के पिता के नाम से चक 2 एम एल के खाता सं0 107/91 मु0 नं0 16 के 6–325 है0 भूमि दर्ज कागजात राज थी। अपीलांट को इसमें से विरास्तन 0.903 है0 रकबा प्राप्त होकर उसके नाम से जरिये इंतकाल सं0 682 दिनांक 20–3–13 के दर्ज हुई जो कि विरास्त व हक त्याग के बाद अपीलांट के नाम बतौर खातेदार 0.903 है0 दर्ज हुई है। अपीलांट की माता रामप्यारी का देहान्त ऑक्टूबर, 2013 के अन्तिम सप्ताह को होने पर तीनों बहिनें संस्कार से लेकर अन्तिम रस्म तक दो एम एल में थी। इस दौरान रेस्पो0 व उनके लड़के बृजलाल, श्याम लाल व उनकी औरतों ने दोनों बहिनों सुरिया व गणेशी को कहा कि आप अपनी भूमि उनके नाम से लगवा दें, गुड्डी भोली भाली है, उसे बिना प्रतिफल दिये, भूमि अपने नाम करवा लेगें। अपीलांट को रेस्पो0 ने यह कहकर 12वें के बाद रोक लिया कि पुरानी आबादी ननिहाल

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

में सावणी मौकान में उनके साथ चलना है। दिनांक 8–11–13 को चक 2 एम एल से सावणी मौकान के लिए रेस्पो0 के साथ, उनकी पत्नियॉ, भतीजा बृजलाल व श्याम लाल रवाना होकर अपीलांट को साथ लेकर उप पंजीयक कार्यालय चले गये। अपीलांट को एक जगह खड़ा करके अपीलांट का अगूँठा लगवा लिया व फोटो खेंच दी और बताया कि माता रामप्यारी की मृत्यू की सूचना दर्ज हो चुकी है। अपीलांट के दामाद राजेन्द्र ने कहा कि उसकी सास गुड्डी से जो लेना देना किया है, वही लेन देन की बात बाकी दोनों से कर लो। राजेन्द्र ने अगले रोज फोन से दी। तभी सारे परिवार में बात होने पर अपीलांट ने कहा कि मैनें तो अपनी जमीन भाईयों के हक में लिख कर नहीं दी है और न ही भाईयों ने मेरे से कोई इस संबंध में बात की है। उक्त दस्तबदारी जिसमें अंकित चक 2 एम एल की मु0 नं0 16 के खाता सं0 107/91 की भूमि 0.903 है0 कमाण्ड भूमि जिसकी बाजार कीमत 4 करोड़ के आसपास है, को केवल मात्र बिना प्रतिफल के दस्तबदारी के जरिये धोखा धड़ी व अन्य षडयन्त्रकारियों के साथ आपस में साज बाज करके एक राय होकर कीमती भूमि को हड़पने के लिए उक्त कार्यवाही की गई है। दस्तबदारी के लिए अपीलांट द्वारा कोई सहमति प्रदान नहीं की गई है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपीलाधीन इंतकाल को निरस्त करके भूमि का कब्जा दिलाया जावे।

बाद रिपोर्ट अपील दर्ज रजि0 की गई। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कहा है कि दिनांक 8–11–13 को अपीलांट के भाईयों ने हक त्याग करवा लिया जो धोखे से करवाया गया है। माता की मृत्यू के समय मृत्यू प्रमाण पत्र का हवाला देकर दस्तबदारी करवाई है। दिनांक 11–8–14 को भाईयों ने इकरारनामा धोखे से करवा लिया। बेचान करेगें तो एक बीघा की बाजार कीमत दे देगें। बाद में कहा कि एक बीघा भूमि वापिस लौटा देगें। विवादित भूमि रिद्वि सिद्वि कालौनी के सामने है। एफ आई आर दर्ज करवाई थी, जिसमें बाद अनुसंधान एफ आर यह कह कर लगा दी गई कि सिविल प्रकरण है। भाई बहिनों का विवाद है। दस्तबदारी खारिज कराने का दावा लगा हुआ है। इस प्रकार निवेदन किया है कि अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश खारिज किया जावे।

रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा है कि अपील मियाद बाहर पेश की गई है। धारा 5 के बारे में अपीलांट द्वारा कुछ नहीं कहा गया है। अपील मियाद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य हैं। रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर नामान्तरण किया गया है। धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश नहीं किया है। दस्तबदारी खारिज कराने का वाद

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। अपने तर्को के समर्थन में आर आर डी 2013 पेज 707, पेज 543, 2007 (2) आर आर टी पेज 788, 2015 (1) आर जे टी पेज 378, 2015(1) पेज 241, 2010 (2) आर आर टी पेज 1409, रजिस्ट्रेशन रूल्स, ए0 आई0 आर0 2011(1) आर आर टी पेज 424 एवं 2010 (2) आर आर टी पेज 814 के न्यायिक दृष्टान्त पेश कर निवेदन किया है कि अपील मियाद बाहर है, रजिस्टर्ड दस्तबारी को निरस्त कराने का वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनता से अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलांट द्वारा अपीलाधीन इंतकाल सं0 735 दिनांक 11.11.13 को निरस्त करने, वाद व्यय दिलवाने, भूमि का कब्जा दिलवाने, गत एक वर्ष की ठेका राशि पचास हजार रूपये दिलवाने का अनुतोष चाहा गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख कि अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन इंतकाल पंजीकृत दस्तबदारी के आधार पर दिनांक 10–11–13 को पटवारी हल्का द्वारा खोला गया है और भू0 अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 11–11–13 को जॉच की जाकर रिपोर्ट अंकित की गई है एवं दिनांक 11–11–13 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत किया गया है। भाई बहिनों का आपसी विवाद है। दोनों पक्ष यह स्वीकार करते हैं कि पंजीकृत दस्तबदारी को निरस्त कराने का वाद सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में, दस्तबदारी जो उप पंजीयक, श्री गंगानगर से पंजीकृत है, की पालना में अपीलाधीन इंतकाल स्वीकृत करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है।

फलस्वरूप, अपील अपीलांट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ रेकार्ड अधीनस्थ न्यायालय को वापिस लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 12-4-16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कर्णसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर। 12/4/16